177

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म0प्र0 301

बृजनंदन सिंह उम्र 85 वर्ष तनय श्री नर्वदा सिंह निवासी ग्राम मौरा तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

-----------**आवेदक/निगरानीकर्ता**

II/निग0/सीधी/18/01678

बिरुद्ध

1. फुलेल सिंह तनय बलिराज सिंह निवासी ग्राम मौरा तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0
2. म0प्र0 राज्य

---**अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण**

आवेदक श्री नरविन्द पाण्डेय द्वारा पेश / 12.3.18

कार्यालय ... राजस्व मण्डल म0 प्र0 ... (सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, बिरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0) आदेश दिनांक 21.03.17 जो राजस्व प्रकरण कमांक 38/अ-74/2016-17 संलग्न प्रकरण कमांक 173/अ-6/1992-93 मे पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 21.03.17 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अनावेदक कमांक-1 ने दिनांक 15.02.17 को आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपर कमिश्नर महोदय ने आदेश दिनांक 17.08.16 के द्वारा नायब तहसीलदार बृत्त हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 10.05.93 की इत्तलाबी की जाय जिस आवेदन पत्र मे आवेदक को पक्षकार नही बनाया गया, सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर नही दिया गया पटवारी प्रतिवेदन

बृजनन्दन सिंह

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE

(177)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ......III/निग॰/सीधी/2018/01678...... जिला ......सीधी......

......बृजनंदन सिंह......विरूद्ध ......प्रफुल्ल सिंह......

1	2	3
16.1.19	1. आवेदक की ओर से श्री......अरविन्द पाण्डेय......अधिवक्ता ......के द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील......रामपुर नैकिन...... प्रकरण क्रमांक...38/अ-74/2016-17 /173/अ-6/1992-93...में पारित आदेश दिनांक......21.03.17......के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर......सीधी...... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ......25.03.19...... को कलेक्टर......सीधी...... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

गया, सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर नही दिया गया पटवारी प्रतिवेदन

बृजनन्दन सिंह